Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 70/2019

Bibhas Chandra Sah & Ors ..... Appellants.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.11.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–03/2018–19 में दिनांक–11.02.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि लॉट नं0–01, मौजा–मोहनाचाँदपुर, थाना सं0–179, खाता सं0–01, खेसरा सं0–1036/341, रकवा–1.47 एकड़ जिसकी चौहद्दी उत्तर–अपीलार्थी की भूमि, दक्षिण–तथैव, पूरब–तथैव, पश्चिम–भगवान चौधरी, लॉट नं0–02, खाता सं0–572, खेसरा सं0–1034, रकवा–21 डी0, खेसरा सं0–1038, रकवा–42 डी0 जिसकी चौहद्दी उत्तर–प्लॉट सं0–135 वर्त्तमान में सड़क दक्षिण–सड़क पूरब–बिहार सरकार की भूमि प0–सीमाना विवादित भूमि है। लॉट सं0–01 की भूमि 1 एकड़ 48 डी0 भूमि अपीलार्थी सं0–01 और 02 को भूदान यज्ञ समिति से प्राप्त है एवं लॉट सं0–02 की भूमि अपीलार्थी सं0–03 को बंदोबस्ती से प्राप्त है। जिसपर ये सब दखलकार चले आ रहे हैं। जिसपर इनका वैध अधिकार है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जो सही नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। निम्न न्यायालय को वस्तुस्थिति की जाँच की जानी चाहिए थी जो नहीं किया गया है। जमाबंदी पंजी के अवलोकन से वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकती थी। जिसे निम्न न्यायालय द्वारा अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थियों को निम्न न्यायालय आदेश की जानकारी विलंब से हुई जिस कारण अपील दाखिल करने में विलंब हुआ है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी द्वितीय पक्ष का कथन है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। अपीलार्थीगण गलत भूदान–पत्र के माध्यम से प्रश्नगत भूमि हड़पना चाहते हैं जबकि विवादित भूमि गैरमजरवा बिहार	

Web Copy. Not Official.

		सरकार दर्ज है। जिसे भूदान समिति को दान नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत भूमि पर उत्तरवादीगण अपने पिता के काल से ही कृषि कार्य के रूप में दखलकार हैं। जिसके अंश भाग पर अपने पूर्वज के काल से निवास कर रहे क्रमशः	
	लगातार 30.11.2023	हैं। अपीलार्थी द्वारा फर्जी भूदान–पत्र तथा अंचल कार्यालय, बरारी को मेल में लाकर बंदोबस्ती परवाना प्राप्त किये हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार भूमि की बंदोबस्ती हेतु सक्षम प्राधिकार अंचलाधिकारी न होकर अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं। निम्न न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर विचारोपरांत न्यायोचित एवं विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है जो सही है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा विवादित खाता सं0–01, खेसरा सं0–1036/341 से रकवा–1.48 एकड़ भूमि पर भूदान यज्ञ समिति से एवं खाता सं0–572, खेसरा सं0–1034, 1038, रकवा–0.63 एकड़ भूमि बंदोबस्ती से प्राप्त किये जाने के आधार पर दावा किया जा रहा है। जबकि उत्तरवादी का उक्त भूमि पर लंबे समय से दखल–कब्जे के आधार पर दावा है। खाता सं0–01, खेसरा सं0–1036, रकवा–1.48 एकड़ भूमि खतियान में वकाश्त बिहार सरकार दर्ज है एवं खाता सं0–572 की कुल भूमि गैर मजरूआ बिहार सरकार दर्ज है। अपीलार्थीगण का बंदोबस्ती परवाना अंचलाधिकारी, बरारी से निर्गत है, जबकि गैर मजरूआ बिहार सरकार भूमि की बंदोबस्ती हेतु सक्षम प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं। फलतः निम्न न्यायालय द्वारा इनके बंदोबस्ती परवाना को संदेहास्पद बताया जाना विधिसंगत प्रतीत होता है। दूसरी तरफ अपीलार्थी द्वारा खाता सं0–01 की भूमि भूदान प्रमाण पत्र से प्राप्त होने के आधार पर दावा किया जा रहा है जबकि रिविजनल सर्वे में उक्त भूमि वकाश्त बिहार सरकार दर्ज है। बिहार सरकार की भूमि भूदान को दिया जाना वैध नहीं माना जा सकता है। दूसरी तरफ उत्तरवादियों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उन्हें प्रश्नगत भूमि का किसी प्रकार का बंदोबस्ती प्राप्त नहीं है। इस प्रकार उभय पक्षों का दावा स्पष्ट एवं वैध नहीं है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को यथावत् रखते हुए प्रस्तुत मामले को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए निदेश दिया जाता है कि विवादित मामले में बिहार सरकार एवं भूदान यज्ञ समिति के पक्षों के साथ–साथ सभी संबंधित निजी पक्षकारों की सुनवाई करते हुए दस्तावेजीय साक्ष्यों के आधार पर सम्यक् विचारोपरांत निर्धारित समय–सीमा अंतर्गत मुखर आदेश (Speaking Order) पारित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें।	

Web Copy, Not Official.

		लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.